

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला अनूपगढ़

प्रकरण सं० 111/2024 वर्ष 2024

राजस्थान सरकार बनाम पेशवा

प्रस्तुतिकरण दिनांक 23/9/24 निर्णय दिनांक 22/10/24

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही का इतिशयित्स जज | पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया |
|---------------|-----------------------------------|---|
|---------------|-----------------------------------|---|

23/10/2024

पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बत ... 2081... में भूमि रकबा राज दर्ज है।

अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का 16A.S... का प्रतिवेदन दिनांक 23/9/2024 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी पेशवा पुत्र भाजारिप जाति जाट निवासी कपली को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक 16A.S... मु.नं. 225 कुल 0.003... है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कास्त करने पर अतिक्रमी घोषित करते हुए कास्त शुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 50... गुणा राशि 2/-... शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अभि 0 को नियुक्त किया ताजा है कि अतिक्रमी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व)
श्री विजयनगर
विजयनगर

'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं० की क्रम सं० दिनांक को दर्ज किया गया।

ता० रा० ले०